न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 37 / 2024
दायर दिनांक :– 22.02.2024

अनवान

गोविन्दपुरी पिता गणपत पुरी गोस्वामी निवासी सांगरिया तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाड़ा
प्रार्थी..........

बनाम

1. गौरधन पुरी पिता गणपत पुरी गोस्वामी नि० सांगरिया तहसील फुलिया कलाँ जिला भीलवाड़ा
2. रमेश पुरी पिता गणपत पुरी गोस्वामी नि० सांगरिया तहसील फुलिया कलाँ जिला भीलवाड़ा
3. शिमला पुत्री गणपत पुरी गोस्वामी नि० सांगरिया तहसील फुलिया कलाँ जिला भीलवाड़ा
4. देवेन्द्र पुरी पिता खान पुरी गोस्वामी नि० सांगरिया तहसील फुलिया कलाँ जिला भीलवाड़ा
5. सुमन पुरी पिता खान पुरी गोस्वामी निवासी सांगरिया तहसील फुलिया कलाँ जिला भीलवाड़ा
6. सुशीला देवी पत्नि खान पुरी गोस्वामी नि. सांगरिया तहसील फुलिया कलाँ जिला भीलवाड़ा
7. हेमन्त पुरी पिता खानपुरी गोस्वामी नि. सांगरिया तहसील फुलिया कलाँ जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री विष्णुदत्त शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

दिनांक 11 .09.2025

:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम सांगरिया प. म. सांगरिया तहसील फूलिया कला जिला भीलवाडा में खाता सं. 1103 के आराजी नं. 570, 571, 572, 583, 584, 585, 585 कुल किता 7 रकबा 3–25 हैक्टेयर तथा खाता सं. 193 के आराजी नं. 1642, 1644, 1645, 1645 / 4144, 1646, 1647, 1648, 391, 393, 394, 395, 457, 458, 459 कुल किता 14 रकबा 8–49 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी व विपक्षीगण का सजरा निम्न प्रकार है।

दुर्गापुरी

गणपत पुरी — शिमला, गोरधन, रमेश, गोविन्द, राजकुमारी

खान पुरी — देवेन्द्र, सुमन, सुशीला, हेमन्त

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा

उक्त वर्णित कृषि आराजियात दुर्गापुरी एवम उनके पुत्र गणपत पुरी की स्वअर्जित कृषि आराजियात है दुर्गापुरी की कृषि आराजियात व उनके पुत्र गणपत पुरी पिता दुर्गापुरी जो कि गणपत पुरी को राजाधिराज शाहपुरा स्टेट के द्वारा 94 बीघा 19 बिस्वा परगने फूलिया कला में जमीन गणपतपुरी को दी गयी। और वर्तमान राजस्व रेकार्ड मै जो वर्णित कृषि आराजियात खाता संख्या 193 व खाता संख्या 1103 मे जो रकबा वर्णित किया गया है। उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थी का कब्जा काश्त बरसो से चला आ रहा है। कानपुरी उर्फ कन्हैयालाल पुत्र दुर्गापुरी अपने जीवन काल में ही जीवन भारती जी गोस्वामी के गौद चले गये क्यो कि कन्हैया लाल गोस्वामी पुत्र दुर्गापुरी जो कि एक राजकीय शिक्षक था और गोद जाने का रेकार्ड का सरकारी दस्तावेज भी प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी के द्वारा पेश किया जा रहा है और कानपुरी के वारिसो का सजरा भी दर्शाया गया। चूंकि कानपुरी दत्तक पुत्र जीवण भारती होने से वर्णित कृषि आराजियात मै कानपुरी एवम उनके वारिसान का हक हिस्सा शेष नही रह जाता है। प्रार्थी का स्वयं का सगा भाई गोरधन पुरी पुत्र गणपत पुरी जो भी गोरधनपुरी दिनाक 15–11–68 को सामाजिक रीति रिवाजानुवार चेतन पुरी चेला सूरजपुरी जाति गुसाई निवासी चापानेरी के सन्तान नही होने से दत्तक पुत्र के रूप मे गोद चला गया जिसका भी रजिस्टर्ड गोद नामा उपपंजीयक कार्यालय केकडी जिला अजमेर में पंजीयन किया गया जिसका भी दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी का एक और सगा भाई जो कि प्रार्थनापत्र मे विपक्षी के रूप में प्रार्थनापत्र मे मोजूद है जिसके बारे मे गणपत पुरी पुत्र दुर्गापुरी जो कि विपक्षी रमेश के सगे पिता है और उनके द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजियात होने के कारण दिनांक 2–12–2004 को अपने जीवन काल मै एक वसीयत नामा एक सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के द्वारा लिखा की मेरा छोटा पुत्र रमेश हमेशा लडाई झगडा तथा विघ्न करता रहता है इसलिये मेरी स्वेच्छा से यह वसीयत लिखा कर मेरी सांगरिया मे स्थित समस्त जमीन जायदाद व ग्राम चापानेरी में स्थित सभी जमीन वसीयत ग्रहिता को करता हूँ वसीयत पत्र की फोटोकॉपी पेश है। वर्णित कृषि आराजियात का मे प्रार्थी खातेदार होने योग्य हूं क्योंकि गोरधन पुरी पुत्र गणपत पुरी चेतन पुरी के गोद चला गया व कान पुरी पुत्र दुर्गापुरी जो कि सरकारी रेकार्ड के अनुसार जीवण भारती गोस्वामी के गोद चला गया और एक सरकारी कर्मचारी था जिसका रेकार्ड भी प्रार्थी पेश कर रहा है। इसलिये कान पुरी उर्फ कन्हैयालाल का उपरोक्त वर्णित आराजियात मे हक व हिस्सा नही रहता है मे प्रार्थी खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी हू विपक्षीगण उक्त आराजियात में प्रार्थी के कब्जे काश्त मे बाधा कारित नही करे इस हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह है कि कानपुरी उर्फ कन्हैयालाल पुत्र दुर्गापुरी अपने जीवन काल में ही जीवन भारती जी गोस्वामी के गौद चले गये क्यो

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा

2624/82

कि कन्हैया लाल गोस्वामी पुत्र दुर्गापुरी जो कि एक राजकीय शिक्षक था और गोद जाने का रेकार्ड का सरकारी दस्तावेज भी पत्रावली में संलग्न है। चूंकि कानपुरी दत्तक पुत्र जीवण भारती होने से वर्णित कृषि आराजियात मै कानपुरी एवम उनके वारिसान का हक हिस्सा शेष नही रह जाता है। प्रार्थी का स्वयं का सगा भाई गोरधन पुरी पुत्र गणपत पुरी जो भी गोरधनपुरी दिनांक 15–11–68 को सामाजिक रीति रिवाजानुवार चेतन पुरी चेला शूरजपुरी जाति गुसाई निवासी चापानेरी के सन्तान नही होने से दत्तक पुत्र के रूप मे गोद चला गया जिसका भी रजिस्टर्ड गोद नामा उपपंजीयक कार्यालय केकडी जिला अजमेर में पंजीयन किया गया पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थी का एक और सगा भाई गणपत पुरी पुत्र दुर्गापुरी जो कि विपक्षी रमेश के सगे पिता है और उनके द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजियात होने के कारण दिनांक 2–12–2004 को अपने जीवन काल मै एक वसीयत नामा एक सौ रूपये के स्टाम्प पेपर द्वारा स्वेच्छा से सांगरिया मे स्थित समस्त जमीन जायदाद व ग्राम चापानेरी में स्थित सभी जमीन वसीयत ग्रहिता को करता हूँ वसीयत पत्र की प्रति संलग्न है। इसलिये कान पुरी उर्फ कन्हैयालाल का उपरोक्त वर्णित आराजियात मे हक व हिस्सा नही रहता है। इसलिये प्रार्थी के अनुसार उनके पक्ष में उक्त आराजी के संबध में स्वयंम को खातेदार घोषित कराने के संबध में प्रथम दृष्टया केस मौजुद है। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु एक सद्भावी केस प्रस्तुत किया गया है, जिसका विचारण उपरांत निर्णय किया जायेगा। अतः मेरी विनम्र राय में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस पाया गया है। यदि अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को विकय/खुर्दबुर्द कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में यथास्थिति बनी रहेगी, एवं अप्रार्थीगण को कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा के सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगरिया प. म. सांगरिया तहसील फूलिया कला जिला भीलवाडा में खाता सं. 1103 के आराजी नं. 570, 571, 572, 583, 584, 585, 585 कुल किता 7 रकबा 3–25 हैक्टेयर तथा खाता सं. 193 के आराजी नं. 1642, 1644, 1645, 1645/4144, 1646, 1647, 1648, 391, 393, 394, 395, 457, 458, 459 कुल किता 14 रकबा 8–49 हैक्टेयर में मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि में अप्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 1 से 07 के हिस्से तक की भूमि के रेकार्ड में परिवर्तन, विकय, रहन, बक्शीश न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कला जिला–भीलवाड़ा